# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला बीकानेर

वाद सं. 43 / 2017

---[ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 136 भू राजस्व अधिनियम ]---

मेघाराम बनाम सरकार नि०ति० 25/5/18

- प्रार्थना पत्र प्रार्थी मेघाराम पुत्र रावताराम जाति जाट सा. 28 केजेडी द्वारा प्रस्तुत किया गया ।
- प्रार्थी के नाम चक 3 बीडब्ल्युएम के मुरब्बा न. 207/35 , 207/36 में 48.10 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में नन्दराम पुत्र रावताराम दर्ज किया हुआ है ; जिसको प्रार्थी अपने वर्तमान के पहचान के दस्तावेजों के आधार पर मेघाराम पुत्र रावताराम दर्ज रिकॉर्ड कराना चाहता है ।
- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया । भूमिधारक तहसीलदार को नोटिस जारी किया गया ।
- प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश, जमाबन्दी व पहचान के दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये गये ।
- पुख्ता पहचान के लिये पहचानकर्ता गिरधारीराम-हीराराम- गणेशाराम पुत्रगण दानाराम; मेघाराम पुत्र रावताराम व लिछमणराम पुत्र लूणाराम आदि के शपथ पत्र भी संलग्न किये गये जिसमें प्रार्थी मेघाराम पुत्र रावताराम की पहचान की गयी ।

➢ पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी के कथनों, दस्तावेज व अन्य पहचानकर्ताओं के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा -136 के प्रावधानों के अनुरूप पक्षकार की *एडमिट्टेड एरॉर* के रूप में स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार खाजूवाला को राजस्व रिकॉर्ड में **मेघाराम पुत्र रावताराम** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं ।

➢ तहसीलदार भूमिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को आवंटित व प्रार्थी द्वारा धारित भूमि में रिकॉर्ड अनुसार रकबे का मिलान नहीं होता है ।

➢ रिकॉर्ड के अवलोकन से इंगित होता है कि संलग्न आवंटन आदेशों में मुरब्बा नं. 207/35 में किला न. 1 ता 25 = 23.10 बीघा, 207/36 में किला न. 1 ता 9, 12 ता 18 = 16.00 बीघा ; **कुल 39.10 बीघा MFFR आवंटन** तथा **लघू भू-पट्टी** के रूप में 207/36 का किला नम्बर 10=0.16, 11=0.16, 19=1.00, 20=0.16, 21=0.16, 22 ता 25 =4.00 कुल = 8.04 बीघा भूमि आवंटित हुई है । इस प्रकार दोनों पृथक आवंटन आदेशों में **कुल 47.14 बीघा भूमि का आवंटन** हुआ है । किन्तु **वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम 48.10 बीघा** भूमि दर्ज रिकॉर्ड है अतः तहसीलदार को आदेश दिये जातें हैं कि आवंटन आदेश के अनुसार रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 207/35 में 24.00 बीघा भूमि में से 0.10 बीघा भूमि अराजीराज की जावे तथा इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 207/36 में भी किला नबर 10, 11, 20, 21 में 2-2 बिश्वा भूमि कम किया जाकर रकबा राज किया जावे ।

निर्णय सुनाया गया ।

25/5

( रमेश देव )
शिविर प्रभारी अधिकारी
राजस्व लोक अदालत,न्याय आपके द्वार 2018
कैम्प....गुल्लुवाली

TDR खाजूवाला को पालनार्थ प्रेषित है।

Scanned by CamScanner